


2021/483

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

त श्रीमान श्रीमान कृष्ण मुकाम पुष्पना
मेवरी पुत्री रमक रामक बनाम मुन्जी पुत्री रामक
 मा राजरा - सेवा 33, 88, 188 R. नं. सं. 243/2 सन्.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>5/9/21 आज यह बात दादी ने प्रतिवादीगण को विरुद्ध अ. धारा 33, 88, 188 R. नं. दर्ज हो प्रतिवादीगण को यन्त्रण जारी है. दिनांक: 26/10/21 को पेश हो।  सहायक मैजिस्ट्रेट डीडवाना</p>	
<p>26/10/21 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 18/11/21 को पेश हो। प्रतिवादीगण एवं उनकी तरफ से कानूनवादी श्री हीर सिंह कानून को पेश किया।</p>	
<p>18/11/21 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 18/11/22 को पेश हो।</p>	
<p>18/11/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 29/3/22 को पेश हो।</p>	
<p>29/3/22 पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 24/5/22 को पेश हो।</p>	
<p>24/5/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 2/6/22 को पेश हो।</p>	



31/9/22

पत्रावली पेश हुई । बार संघ के कार्यालय में कार्य संचालित रखा है, मिसल दिनांक 30/9/22 को पेश हो ।

30/9/22

वकील कारी उच्च न्यायालय स्वयं उच्च न्यायालय के आदेश पर पेश कर विशेष विचार दि. न्यायालय उच्च न्यायालय को पत्रावली नती आदेश है अतः जारी के विशेष न्यायालय का कार खारिज किया जाये।

वकील कारी के उच्च न्यायालय नैतिकता का अनैतिक विचार। न्यायालय अपने पक्ष को पत्रावली नती आदेश है / अतः जारी के विशेष न्यायालय का कार खारिज किया जाये है। पत्रावली के लक्ष्य सुधार होगा न्यायालय दफ्तर ही।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (बागौर)